पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 5940 /22/वि–7/NREGA/2006 भोपाल, दिनांक 24/4/2006

प्रति,

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला/जिला पंचायत – झाबुआ, मण्डला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, डिण्डौरी, सतना
एवं सिवनी, मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मासिक जानकारी प्रेषित करने बावत्।

संदर्भः संयुक्त सचिव, भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का फैक्स दिनांक 17.04.06

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित फैक्स द्वारा निर्देश प्राप्त हुये है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मासिक जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 4 तारीख तक भारत शासन को उपलब्ध कराया जाना है। यह जानकारी प्रबंध सूचना तकनीकी (MIS) के माध्यम से आपके द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। जानकारी हेतु निर्धारित प्रारूप आपको पूर्व में उपलब्ध कराये जा चुके है। उक्त प्रारूप MIS की वेब साइट http://nrega.nic.in पर उपलब्ध है।

दिनांक 04.02.06 को MIS का offline software जनपद स्तर पर install करने का प्रशिक्षण जिले में NIC के अधिकारियों तथा जिला पंचायत में पदस्थ कम्प्यूटर आपरेटर [illegible] दिया जा चुका है। परन्तु आज दिनांक तक software installation का कार्य नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि मध्यप्रदे[illegible] ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MPREGS) की समीक्षा निर्धारित MIS के माध्यम से ही की जावेगी तथा जिलों की प्रगति का आंकलन भी MIS पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार किया जावेगा।

अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि आपके जिले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित MIS जनपद स्तर तक तत्काल installation का कार्य किया जावे तथा नियमित रूप से जानकारी दर्ज की जावे। कृपया इस संदर्भ में तत्काल कार्यवाही करते हुये यह सुनिश्चित करें कि माह अप्रैल, 2006 की जानकारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित MIS के माध्यम से ही प्रेषित की जावे।

आपके द्वारा मासिक जानकारी राज्य शासन को उपलब्ध कराई जावेगी [illegible] संकलित जानकारी भारत शासन की ओर प्रेषित की जावेगी।

220

अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि जानकारी प्रत्येक माह की 30 तारीख तक राज्य शासन को MIS के माध्यम से उपलब्ध करा दी जावे, ताकि उसे निर्धारित समय सीमा में भारत शासन को प्रेषित किया जा सके।

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 5941 / 22 / वि–7 / NREGA / 06 भोपाल, दिनांक 24 / 4 / 2006

प्रतिलिपि–

संभाग आयुक्त .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

२२१

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 6466 /22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 2/5/2006

प्रति,

उपायुक्त,(विकास)
संभागायुक्त कार्यालय,
संभाग– चम्बल(मुरैना), ग्वालियर, रीवा,सागर,
जबलपुर, भोपाल, इंदौर,
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संशोधित चेक लिस्ट में जिलों से जानकारी संकलित की जाकर प्रति सप्ताह भेजने बाबत्।

अर्द्ध शास0 पत्र क्र. 2155/22/वि–7/ग्रारो/06 दिनांक दिनांक 17.02.06 के द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट में जिलों से संकलित जानकारी प्रत्येक मंगलवार को इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

जानकारी के संकलन हेतु संशोधित चेक लिस्ट पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया जिलों से संकलित जानकारी प्रत्येक मंगलवार को अर्द्ध शास0 पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

1.5.06

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0क्रमांक 6467 /22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 2/5/2006

प्रतिलिपिः–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत– श्योपुर, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, सिवनी, बैतूल, धार, बड़वानी, झाबुआ, खण्डवा एवं खरगौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

प्रति सप्ताह समीक्षा हेतु संशोधित चेक लिस्ट

दिनांक से दिनांक

संभाग/जिले का नाम–

क.	गतिविधि	अद्यतन स्थिति
1	पंजीकरण	
	बीपीएल सर्वे 2002–03 के आधार पर ग्रामीण परिवारों की संख्या	
	जनगणना 2001 के आधार पर ग्रामीण परिवारों की संख्या	
	योजना प्रारंभ से कितने परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है	
	पंजीकरण से वंचित परिवारों की संख्या	
2	जॉब कार्ड	
	पंजीकृत परिवारों में वितरित जॉब कार्ड की संख्या	
	जॉब कार्ड प्राप्त होने से वंचित परिवारों की संख्या	
3	रोजगार की मांग	
	01.04.2006 से कितने परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई	
	उक्त बिन्दु में से कितने परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया गया	
	01.04.2006 से कितने आवेदकों (वयस्क) द्वारा रोजगार की मांग की गई	
	उक्त बिन्दु में से कितने आवेदकों (वयस्क) को रोजगार उपलब्ध कराया गया	
	01.04.2006 से कितने नये कार्य प्रारंभ किये गये	
	योजना प्रारंभ से कितने नये कार्य प्रारंभ किये गये	
4	बेरोजगारी भत्ता	
	कितने आवेदकों को रोजगार की मांग दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया	
	कितने आवेदकों को (01.04.2006 से आज दिनांक तक) बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया	
	बेरोजगारी भत्ते के रूप में (01.04.2006 से आज दिनांक तक) भुगतान की गई राशि का विवरण	
5	प्रशिक्षण	

	प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	
	प्रथम चरण के प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	
	प्रथम चरण के प्रशिक्षण के दिनांक	
	द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमो की संख्या	
	द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	
6	प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)	
	क्या जनपद पंचायत से जिला पंचायत तक ऑनलाईन प्रबंध सूचना प्रणाली अपनाने हेतु जिलें में आवश्यक संसाधन उपलब्ध है	
	क्या जनपद पंचायत से जिला पंचायत तक ऑनलाईन प्रबंध सूचना प्रणाली अपनाई जा सकती है	
	क्या जिला पंचायत से राज्य शासन तक ऑनलाईन प्रबंध सूचना प्रणाली अपनाने हेतु जिलें में आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है	
	क्या जनपद पंचायत स्तर तक प्रबंध सूचना प्रणाली को offline install कर लिया गया है।	
	यदि हां तो जनपद पंचायतों के नाम	
	यदि नहीं तो जनपद पंचायतों के नाम	
7	रोजगारमूलक कार्य	
	क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4–5 रोजगारमूलक कार्य प्रारंभ कर दिये गये है	
	यदि हां तो ग्राम पंचायतों की संख्या	
8	आबंटन व्यवस्था (राशि रू. करोड़ में)	
	जिले को योजना के क्रियान्वयन हेतु 31/3/2007 तक कितनी राशि की आवश्यकता है	
	1/4/2006 को प्रारंभिक शेष राशि	
—	वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राप्त आवंटन	
	प्राप्त आवंटन में से व्यय राशि	
	प्राप्त आवंटन में से शेष राशि	
	1/4/2006 से स्वीकृत नये कार्य	
	उक्त योजना में प्रगतिरत कार्य	
	उक्त योजना में पूर्ण कार्य	

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 6766 /22/वि–7/ग्रारो/2006 भोपाल, दिनांक 6/5/2006

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत– झाबुआ, मंडला, उमरिया, शहडोल,
बड़वानी, खरगौन, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट,
छतरपुर, बैतूल, खंडवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना एवं डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति रिर्पोट ।

कृपया संचालक, एनआरईजीए, भारत सरकार से प्राप्त पत्र 25–4–2006 का अवलोकन हो । पत्र में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :–

1. राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समाहित हो चुकी है । उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत आरंभ किये गये कार्यो में अकुशल श्रमिकों को रोजगार गारंटी के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है ।
2. जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के पूर्व से प्रगतिरत कार्य एवं एनआरईजीए के अंतर्गत आरंभ किये गये नये कार्यो में केवल जॉब कार्डधारी श्रमिकों को ही नियोजित किया जावे तथा एनआरईजीए की गाईड लाईन के अनुसार मस्टर रोल का संधारण किया जावे ।
3. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिशिष्ट बी–12 के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

उपर्युक्त बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करें ।

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2..

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कं/ 6783 /22/वि–7/ग्रारो/2006

भोपाल, दिनांक 8/5/2006

प्रति
कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जिला पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः वन संरक्षण अधिनियम से प्रभावित ग्रामीण विकास कार्यो की मासिक जानकारी।

मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्धारित किया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम के कारण ग्रामीण विकास के जो कार्य विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे है उनकी मासिक जानकारी नियमित रूप से जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा विकास आयुक्त को भेजी जाये ताकि राज्य स्तर पर वन विभाग से समन्वय स्थापित कर वन संरक्षण अधिनियम में इन कार्यो की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त की जा सके। कृपया संलग्न प्रपत्र में प्रतिमाह 25 तारीख तक की जानकारी उसी माह के अंत तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6.5.06.
(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र/ 6784 /22/वि–7/ग्रारो/2006

भोपाल, दिनांक 8/5/2006

प्रतिलिपि–
1. सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. संभागायुक्त (समस्त), म.प्र की ओर सूचनार्थ।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क. 6761 / 22 / वि–7 / ग्रारो / 06 भोपाल, दिनांक 6 मई 2006

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,........................संभाग ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, भोपाल
3. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रा.वि.संस्थान,अधारताल,जबलपुर

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(227)

वन संरक्षण अधिनियम से प्रभावित ग्रामीण विकास के कार्यों की जानकारी

जिले का नाम —

प्रतिवेदन माह —

क.	क्षेत्रीय वनमंडल का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	योजना का नाम	कार्य स्थल*	कार्य की लागत	कार्य मे सम्मिलित वन भूमि (हैक्टेयर में)	क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी को प्रस्तुत प्रस्ताव का पत्र क. व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट— *कॉलम क—8 में कार्यस्थल के रूप में आरक्षित वनक्षेत्र, संरक्षित वनक्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं छोटे—बड़े झाड़ के जंगल की जानकारी दी जावेगी।

222

(२२४)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 47/2006/22/वि–4 भोपाल, दिनांक 16/01/06

प्रति,

कलेक्टर,
जिला...................................,
मध्यप्रदेश।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम को–ऑर्डिनेटर नियुक्त करने बाबत्।

—000—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु चयनित जिलों में जिला इकाईयों के लिए अधिनियम की धारा– 14 की उपधारा (1) के प्रावधानानुसार राज्य शासन, एतद् द्वारा कलेक्टर को उनके जिले के लिए जिला कार्यक्रम को–ऑर्डिनेटर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम को–ऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेन्द्र ज्ञानी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 48/2006/22/वि– भोपाल, दिनांक 16/01/06

प्रतिलिपि,

1. समस्त संबंधित संभागीय कमिश्नर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।

कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

latter-p&rd-2

223

(237)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 79 / 2006 / 22 / वि–1 भोपाल, दिनांक 20 / 01 / 06

प्रति,

कलेक्टर,
जिला..........................,
मध्यप्रदेश।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त अमले की व्यवस्था करने बाबत्।

—०Ο०—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 02 फरवरी, 2006 से प्रदेश के 18 जिलों में लागू हो रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त अमले की आवश्यकता सम्भावित है।

2/ अतः इस हेतु आपके जिले में निवासरत सेवानिवृत्त सहायक यंत्री, उपयंत्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विकास विस्तार अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार, ट्रेसर, अंकेक्षक, सहायक अंकेक्षक एवं ग्राम सहायक आदि का सर्वे कराकर उनका विवरण संकलित करते हुए सूची तैयार कराने का कष्ट करें, ताकि आवश्यकता होने पर इस योजना में उनकी सेवाएं ली जा सके। आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र ज्ञानी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

latter-p&rd-2

(२३४)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 955 /22/वि–5/स्था./05 भोपाल दिनांक 25/1/06

प्रति,

कलेक्टर/
/जिला :–बालाघाट, बैतूल, बड़वानी,
छतरपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, मंडला,
शहडोल, शिवपुरी, सीधी, श्योपुर, सिवनी, सतना,
टीकमगढ़, उमरिया (म.प्र.)

विषयः– म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन बावत अमले की व्यवस्था ।

म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 2.2.2006 को जारी किये जाने की संभावना है। अधिसूचना जारी होते ही अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन बैधानिक बाध्यता होगी।

अधिसूचना जारी होने पर अधिनियम में दर्शाये गये प्रावधानो यथा– रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों के आवेदनों का ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयन, उनका सूक्ष्म परीक्षण एवं ग्राम पंचायत से अनुमोदन, अनुमोदन अनुसार संबंधितों को जॉब कार्ड का वितरण किया जाना, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्यो की स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ कराना, निर्धारित समयावधि में कार्यो का मूल्यांकन पश्चात मजदूरी भुगतान करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाना होगा। इन सभी कार्यो के लिये ग्राम पंचायत स्तर, जनपद पंचायत स्तर एवं जिला स्तर पर काफी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों के अमले की आवश्यकता होगी।

राज्य शासन स्तर से प्रत्येक स्तर पर क्या–क्या अमला होगा इसका निर्धारण किया जा रहा है। म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी में अमले के अनुमोदन पश्चात प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत अमले के संबंध में पृथक से सूचित किया जावेगा। यथा संभव इस महत्वपूर्ण योजना के लिये पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति/संविदा से की जावेगी। प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पर व्यवस्था करने में दो से तीन माह समय लगने की संभावना है ।

म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना म.प्र.राज्य शासन की योजना हैं। योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर के नेतृत्व में समन्वित, सुनियोजित एवं सक्षमता पूर्वक किया जाना है।

चूंकि योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ होने जा रही है तथा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ कराने एवं मजदूरी भुगतान हेतु त्वरित कार्यवाही प्रारंभ करनी होगी इसलिए प्रत्येक स्तर पर जिले में उपलब्ध अमले से ही योजना का क्रियान्वयन करने का दायित्व जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक का होगा।

कृपया तदानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

25.1.06

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(237)

पृ.क्रमांक 972 / 22 / वि–5 / स्था. / 05 भोपाल दिनांक 25/1/06

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त, समस्त (उज्जैन संभाग को छोड़कर) संभाग मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट, बैतूल, बड़वानी, छतरपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, मंडला, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, श्योपुर, सिवनी, सतना, टीकमगढ़, उमरिया कृपया उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(240)

क्रमांक 1038 /22/वि–5/स्था./05 भोपाल दिनांक 27/1/06

प्रति,

कलेक्टर,
जिला –बालाघाट, बैतूल, बड़वानी, छतरपुर, धार,
डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, मंडला,
शहडोल, शिवपुरी, सीधी, श्योपुर, सिवनी, सतना,
टीकमगढ़, उमरिया (म.प्र.)

विषयः– म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को रिडिप्लाय करने बावत।

म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर पदस्थ अधिकारियो/कर्मचारियो का होगा। जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदेन कार्यक्रम अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर एवं जनपद पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियो की अप्रत्याशित रिक्तियॉ कभी भी हो सकती है। अप्रत्याशित रिक्तियो के कारण योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई न हो इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि अप्रत्याशित रिक्तियो के स्थान पर किसी अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी की व्यवस्था की जावे।

अप्रत्याशित रिक्तियों के स्थान पर कार्य करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की पूर्वानुमति प्राप्त कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदेन कार्यक्रम अधिकारी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को रिडिप्लाय करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

25.1.06

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 1039 /22/वि–5/स्था./05 भोपाल दिनांक 27/1/06

प्रतिलिपिः–

1– कमिश्नर, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट, बैतूल, बड़वानी, छतरपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, मंडला, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, श्योपुर, सिवनी, सतना, टीकमगढ़, उमरिया
3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ..... जिला ..... म.प्र.।

(प्रदीप भार्गव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

C:\Documents and Settings\AP310s\Desktop\NREG-Sceme.doc

(241)

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1737/22/पं-0/पी.ए./डी.सी./06 भोपाल, दिनांक 27 JAN 2006

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय :— ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायतकर्मी (सचिव) पद की पूर्ति।

—0—

ग्राम पंचायतों में स्वतंत्र रूप से सचिव की व्यवस्था हेतु पंचायतकर्मी योजना लागू है। नियुक्ति के अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हैं। यह देखने में आया है कि बारम्बार निर्देशों के बाद भी कुछ ग्राम पंचायत में पंचायतकर्मी (सचिव) के पद रिक्त हैं।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत म0प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से प्रदेश में लागू की जा रही है। प्रारम्भिक चरण में यह योजना प्रदेश के 18 जिलों यथा — झाबुआ, धार, खरगौन बडवानी, खंडवा, सतना, सीधी, शहडौल, उमरिया, मंडल, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, टीकमगढ, छतरपुर, शिवपुरी, श्योपुर, एवं बैतूल में शुरू की जा रही है।

3. म0प्र0 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में पंचायतकर्मी (सचिव) की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः आवश्यक है कि जिन ग्राम पंचायतों मे पंचायतकर्मी (सचिव) के पद रिक्त हैं तथा अतिरिक्त प्रभार किसी निकटस्थ ग्राम पंचायत के सचिव के पास है, उनमें तत्काल पदपूर्ति की कार्यवाही की जावे। किसी भी दशा मे एक पंचायत सचिव के पास एक से अधिक ग्रा.पं. का प्रभार नही रहेगा।

4. ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायतकर्मी (सचिव) की पंदपूर्ति हेतु शीघ्र निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—

(1) पंचायतकर्मी योजना अन्तर्गत निहित शर्तों तथा प्रावधान अनुसार पंचायतकर्मी की नियुक्ति हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2006 तक रिक्त पदों की पूर्ति की जावे।

(2) यदि दिनांक 2 फरवरी 2006 तक किसी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कर्मी के रिक्त पद की पूर्ति नहीं की जाती है तब म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की जावे :— (इस धारा के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के मामले में कलेक्टर विहित प्राधिकारी अधिसूचित हैं।)

(अ) कलेक्टर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच को धारा 86 (1) मे लिखित आदेश देंगे कि वह 30 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत के रिक्त पंचायतकर्मी (सचिव) के पद की पूर्ति अनिवार्य रूप से करें।

(ब) यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार धारा 86(1) के तहत जारी आदेश के अनुक्रम में समय–सीमा में पालन नहीं किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा धारा 86(2) के प्रावधान अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आदेशित किया जाये कि वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत में जाकर पंचायतकर्मी योजना में वर्णित शर्तो तथा अर्हताओं का पालन

करते हुये ग्राम पंचायत के स्थानीय अर्हताधारी व्यक्ति को पंचायतकर्मी के पद पर नियुक्ति हेतु कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश ग्राम पंचायत के सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करावें। यह कार्यवाही समस्त नियमों/प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अधिकतम 15 दिवस में पूर्ण की जावे। इस हेतु अर्हता/प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

अर्हताएं :

(i) उम्मीदवार 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत कक्षा दसवी या हाई स्कूल सर्टीफिकेट उत्तीर्ण होगा।

(ii) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।

(iii) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iv) ऐसा उम्मीदवार स्थानीय अर्थात संबधित ग्राम पंचायत क्षेत्र मे निवासरत हो। इससे कार्य कर पाने में आसानी होगी।

(v) ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को संपादित करने हेतु उम्मीदवार के पास पर्याप्त समय उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

प्रक्रिया :

(i) पंचायतकर्मी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र के सार्वजनिक एवं सहज दृश्य स्थान पर सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा चस्पा की जावे। इसकी एक प्रति जनपद पंचायत के सूचना पटल पर भी चस्पा की जावे। संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में डोडी पिटवाकर मुनादी की जावे।

(ii) आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु 7 दिवस का समय नियत किया जावे।

(iii) प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर वरीयता एवं श्रेष्ठता के आधार पर सूचीबद्ध किया जावे तथा ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के सूचना पटल पर सूची प्रदर्शित की जावे।

(iv) उपरोक्त सूची में से वरीयता अनुसार योग्य उम्मीदवार का नाम कलेक्टर को अनुमोदन हेतु विशेष वाहक के हस्ते भेजा जावे, तथा तद्नुसार नियुक्ति आदेश तीन दिवस के भीतर जारी किया जावे।

(v) एक नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जावे।

(vi) चयनित उम्मीदवार तीन दिवस में अपनी उपस्थिति ग्राम पंचायत को देगा, यदि तीन दिवस में उपस्थिति नहीं दी जाती है, तो प्रतीक्षा सूची अनुसार उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश दिया जावे।

5. आपकी सुविधा के लिये उपरोक्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी प्रारूप पत्र भी संलग्न किये जा रहे हैं :–

(1) धारा 86(1) में कलेक्टर द्वारा सरपंच को जारी किये जाने वाले निर्देश का प्रारूप।

(2) धारा 86(2) में कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाने वाले पत्र का प्रारूप।

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला नियुक्ति आदेश का प्रारूप।

6. भविष्य में भी ग्राम पंचायत में रिक्त होने वाले पंचायतकर्मी (सचिव) के पदपूर्ति हेतु उपरोक्त प्रक्रिया लागू रहेगी अर्थात सर्व प्रथम ग्राम पंचायत 30 दिन के भीतर पंचायतकर्मी की नियुक्ति करेगी । यदि 30 दिन के भीतर पंचायतकर्मी की नियुक्ति करने मे ग्राम पंचायत असफल रहती है तो कलेक्टर धारा 86 के अंतर्गत उक्त कार्यवाही कर पद पूर्ति करेगें। इस प्रकार पंचायतकर्मी का पद रिक्त होने की तिथि से अधिकतम 75 दिन के भीतर (30 दिन ग्राम पंचायत+30 दिन धारा 86 (1)+ 15 दिन धारा 86(2)) पद पूर्ति अनिवार्य रुप से की जावेगी।

27.1.06.

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

क्रमांक 1738/22/पं-0/पी.ए/डी.सी/06 भोपाल, दिनांक 27 JAN 2006
प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल

---

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश को भेजकर निर्देश है कि पत्र की पर्याप्त प्रतियां मुद्रित कराकर ग्राम पंचायत में वितरित कराने की व्यवस्था करें।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

(२५५)

प्रारुप पत्र

कार्यालय कलेक्टर, जिला ......

(मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(1) के अंतर्गत)

क्रमांक दिनांक

प्रति,

सरपंच.......................

ग्राम पंचायत ....

जनपद पंचायत ....

जिला ....

विषय :— ग्राम पंचायत में रिक्त पंचायतकर्मी (सचिव) पद की पूर्ति।

—0—

आपकी ग्राम पंचायत में पंचायतकर्मी (सचिव) का पद दिनांक .... से रिक्त है। पंचायतकर्मी योजनान्तर्गत पद पूर्ति के अधिकार ग्राम पंचायत को हैं। किन्तु आपके द्वारा रिक्त पद की पूर्ति अभी तक नहीं की गई है जिससे पंचायत के कार्यों में व्यवधान हो रहा है।

2. अतः मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(1) के तहत निर्देशित कर आपको एतद्द्वारा अंतिम अवसर दिया जाता है कि आप पंचायतकर्मी के रिक्त पद की पूर्ति 30 दिवस के भीतर करें। यदि 30 दिवस में रिक्त पद की पूर्ति करने में आप असफल रहते हैं, तब धारा 86(2) के अंतर्गत पदपूर्ति की कार्यवाही हेतु आपकी शक्तियां मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सौंपी जावेगी।

कलेक्टर,
जिला ....

पृष्ठां0 क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ....
2. संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला ......
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....

कलेक्टर,
जिला ....

प्रारुप पत्र

कार्यालय कलेक्टर, जिला

दिनांक

क्रमांक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत ....
जिला ....

विषय :– ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायतकर्मी (सचिव) पद की पूर्ति।

–0–

आपके जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित ग्राम पंचायत में पंचायतकर्मी (सचिव) का पद रिक्त है :–

1.
2.
3.
4.
5.

2. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु उनके द्वारा पदपूर्ति नही की गई है। अतः कार्यालय के पत्र क्रमांक.......................... ....दिनांक ....से उन्हें पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(1) के तहत आदेशित किया गया था कि वे 30 दिवस के भीतर पंचायत कर्मी के रिक्त पद की पूर्ति करें। किन्तु सम्बन्धित पंचायत द्वारा रिक्त पद की पूर्ति नहीं की गई।

3. अतः मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(2) के तहत पंचायतकर्मी की नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु आपको एतद्द्वारा निम्न कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

प्रक्रियाः

(i) पंचायतकर्मी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र के सार्वजनिक तथा सहज दृश्य स्थान पर सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी कर चस्पा की जावे। इसकी एक प्रति जनपद पंचायत के सूचना पटल पर भी चस्पा की जावे। सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र में डोंड़ी पिटवाकर मुनादी की जावे।

(ii) आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु 3 दिवस का समय नियत किया जावे।

(iii) प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर वरीयता एवं श्रेष्ठता के आधार पर सूचीबद्व किया जावे तथा ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के सूचना पटल पर सूची प्रदर्शित की जावे।

(iv) उपरोक्त सूची में से वरीयता अनुसार योग्य उम्मीदवार का नाम कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी किया जावे।

(v) एक नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जावे।
(vi) चयनित उम्मीदवार तीन दिवस में अपनी उपस्थिति ग्राम पंचायत को देगा, यदि तीन दिवस में उपस्थिति नहीं दी जाती है, तो प्रतीक्षा सूची अनुसार अन्य उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश दिया जावे।

उपरोक्त नियुक्ति ग्राम पंचायत के सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी किया जाए।

कलेक्टर,
जिला ....

पृष्ठां० क्रमांक दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. संभागीय आयुक्त, संभाग ....की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ....
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचनार्थ ।
4. संयुक्त/उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला ....
5. सरपंच, ग्राम पंचायत ...., जनपद पंचायत ....

कलेक्टर,
जिला ....

(236)

नियुक्ति आदेश का प्रारूप

(247)

कार्यालय जनपद पंचायत....................
जिला ....

दिनांक ....

क्रमांक / ......

म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2) के अन्तर्गत सौंपे गये दायित्व के अधीन ; ग्राम पंचायत .... जनपद पंचायत .... जिला .... मे रिक्त पंचायतकर्मी (सचिव) के पद पर श्री .... पिता का नाम .... को अंशकालिक रूप से मासिक मानदेय पर नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। सम्बन्धित को समय समय पर निर्धारित मानदेय ग्राम पंचायत द्वारा दिया जावेगा ।

3. पंचायतकर्मी पर प्रशासकीय नियंत्रण पूर्णतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होगा तथा वह जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रति प्रशासनिक तौर पर उत्तरदायी होगा।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत ....
जिला ....
वास्ते ग्राम पंचायत ....

पृष्ठां0 क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. कलेक्टर, जिला ....
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला ....
3. संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश
4. सरपंच, ग्राम पंचायत ....
5. सम्बन्धित श्री ....की ओर पालनार्थ । आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दें। अन्यथा यह नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत ....
जिला ....
वास्ते ग्राम पंचायत ....

(२५७)

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1739/22/पं-0/पी.क./डी.सी./06 भोपाल, दिनांक 27 JAN 2006
प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय :- पंचायतकर्मी (सचिव) को पद से हटाने विषयक।

--0--

पंचायतकर्मी (सचिव) की नियुक्ति के लिये राज्य शासन द्वारा **पंचायतकर्मी योजना 1995 से प्रदेश में प्रभावशील है।** पंचायतकर्मी के विरूद्ध कर्तव्य **की उपेक्षा, कर्तव्य का अपालन,** अनियमितता आदि की दशा में उनके विरूद्ध **अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार ग्राम पंचायत में निहित हैं।** पंचायतकर्मी को **कारण बताओ सूचना पत्र दिये** जाने तथा, उत्तर प्राप्त कर उस पर विचार उपरांत ग्राम पंचायत **की सामान्य सभा** उसे पद से हटा सकेगी।

2. **यदि पंचायतकर्मी** (सचिव) द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा, कर्तव्य का अपालन, **अनियमितता आदि की शिकायत**/प्रतिवेदन/जानकारी कलेक्टर को प्राप्त होती है तो जॉच उपरांत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पंचायतकर्मी के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

(1) सर्वप्रथम मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(1) **में संबंधित** ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जावे कि वह **पंचायतकर्मी योजना** अंतर्गत उनको प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये **30 दिवस के भीतर** उक्त **पंचायत कर्मी** को पद से हटाने की कार्यवाही **करें।(सरपंच** को जारी किये जाने वाले निर्देश का मार्गदर्शी प्रारुप पत्र **संलग्न है।)**

(2) **यदि सरपंच द्वारा** धारा 86(1) के **तहत जारी आदेश** के अनुक्रम में निर्धारित समयावधि में पंचायतकर्मी को नहीं हटाया जाता है तब अधिनियम की धारा 86(2) के तहत कलेक्टर स्वयं ग्राम पंचायत के सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायतकर्मी को हटाने की कार्यवाही करेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

27.1.06

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

(249)

क्रमांक 1750 /22/पं-0/पी.ए./डी.सी./06 भोपाल, दिनांक 27 JAN

प्रतिलिपि

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल
2 निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल

---

3 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश।
7. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश को भेजकर निर्देश है कि पत्र की पर्याप्त प्रतियां मुद्रित कराकर ग्राम पंचायत में वितरित कराने की व्यवस्था करें।

27.1.06

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

प्रारुप पत्र

कार्यालय कलेक्टर, जिला ......

(मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(1) के अंतर्गत)

क्रमांक   दिनांक

प्रति,

सरपंच......................

ग्राम पंचायत ....

जनपद पंचायत ....

जिला ....

विषय :— पंचायतकर्मी (सचिव) को पद से हटाने विषयक ।

—0—

आपकी ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायतकर्मी (सचिव) श्री .... द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा/कर्तव्य का अपालन/अनियमिता/ आदि की शिकायत/प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त हुई है। जॉच उपरांत प्राप्त शिकायत सही होना पाया गया।

2. मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज आधेनियम 1993 की धारा 86(1) के तहत आपको निर्देशित किया जाता है कि आप श्री .... पंचायतकर्मी को पद से हटाने की कार्यवाही 30 दिवस मे पूर्ण कर अवगत करावे।

3. निश्चित समयावधि मे आपके द्वारा कार्यवाही पूर्ण न करने की स्थिति मे धारा 86 (2) के तहत जिला स्तर से कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर,
जिला ....

पृष्ठां0 क्रमांक   दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ....
2. संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला ......
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....

कलेक्टर,
जिला ....

(251)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 830/22/वि-7/ग्रारो/2006 भोपाल दिनांक 21/1/2006

प्रति,

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला/जिला पंचायत – श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, शहडोल, रीधी, उमरिया, मण्डला, डिण्डौरी, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, धार, खण्डवा, खरगौन, झाबुआ, बड़वानी,
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबध में एन.आई.सी. द्वारा विकसित एम.आई.एस. के संबंध में।

विषयांतर्गत ग्रामीण विकास विभाग की मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के संबंध में एन.आई.सी. के द्वारा एक वेब आधारित एम.आई.एस. विकसित किया है। यह एम.आई.एस. http://nrega.nic.in पर उपलब्ध है एवं इस एम.आई.एस. हेतु विभाग द्वारा बी पी एल सर्वे 2002 के household का database एन आई सी को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे शीघ्र ही एन.आई.सी. द्वारा इंटरनेट पर upload करा दिया जायेगा। उक्त एम आई एस के सुचारु रुप से कियान्वयन हेतु निम्न आदेशो का पालन किया जाना है:--

आवश्यक अधोसंरचना

प्रत्येक जनपद पंचायत पर संचालक, पंचायत द्वारा प्रत्येक जनपद पंचायत को 5 कम्प्यूटर प्रदान किये गये है ताकि मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विकसित किये गये एम.आई.एस. का उचित उपयोग किया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनपद/जिला स्तर पर उपयोग किये जाने वाले सभी कम्प्यूटर में Dedicated telephone line/ broadband के द्वारा इंटरनेट की सुविधा हो एवं प्रत्येक जनपद स्तर पर 4 डेटा एंट्री आपरेटर की व्यवस्था सूनिश्चित की जाए जिसका मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रावधान भी रखा गया हैं।

जनपद/जिले पर आवश्यक व्यवस्था

इस एम.आई.एस. के डेटाबेस में जिले/जनपद स्तर पर उपयोग किये जाने वाले जॉब कार्ड नम्बर अंकित किये जाने है एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आरंभ होने के पश्चात प्रत्येक मस्टर रोल में अंकित की जाने वाली जानकारी को एम.आई.एस. में अंकित किया जायेगा एवं उक्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट निकाली जायेगी।

प्रशिक्षण हेतु की जाने वाली कार्यवाही

उक्त आदेश के आधार पर प्रत्येक जनपद पंचायत के सी.ई.ओ एवं जनपत के डाटा एंट्री आपरेटरों को उक्त एम.आई.एस. में आवश्यक रुप से प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण हेतु जिले स्तर पर एन.आई.सी. के डी.आई.ओ. से सम्पर्क स्थापित करें। प्रशिक्षण के इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाना है।

246

इस एम.आई.एस के अलावा आपको आदेश क. 832 भी भेजे गये हैं जिसका पालन करवाया जाना है [illegible] पंचायत से जनपद पंचायत एवं जनपद पंचायत से जिला पंचायत एवं जिला पंचायत से मुख्यालय तक [illegible] संकलित की जाना है।

(प्रदीप भार्गव) 21.1.06
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

[illegible] 831 /22/[illegible]/पारो/2006

भोपाल दिनांक 21/1/2006

[illegible]

1. श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. श्रीमती माधुरी शर्मा, एन.आई.सी., भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. संभागायुक्त, (समस्त), म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. विनायक राव, एस.आई.ओ एन.आई.सी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(प्रदीप भार्गव) 21.1.06
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग